Azadi Ka Amrit Mahotsav

न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

करना है नियमों का पालन

सुरक्षित चलाये अपना वाहन

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

चेतावनी/सचेतक सड़क चिन्ह

यह चिन्ह त्रिकोणीय आकृति में और लाल किनारे वाले होते हैं। यह चिन्ह ड्राइवर को आगे की सड़क पर खतरों/परिस्थितियों के बारे में चेतावनी देने के लिए होते हैं।

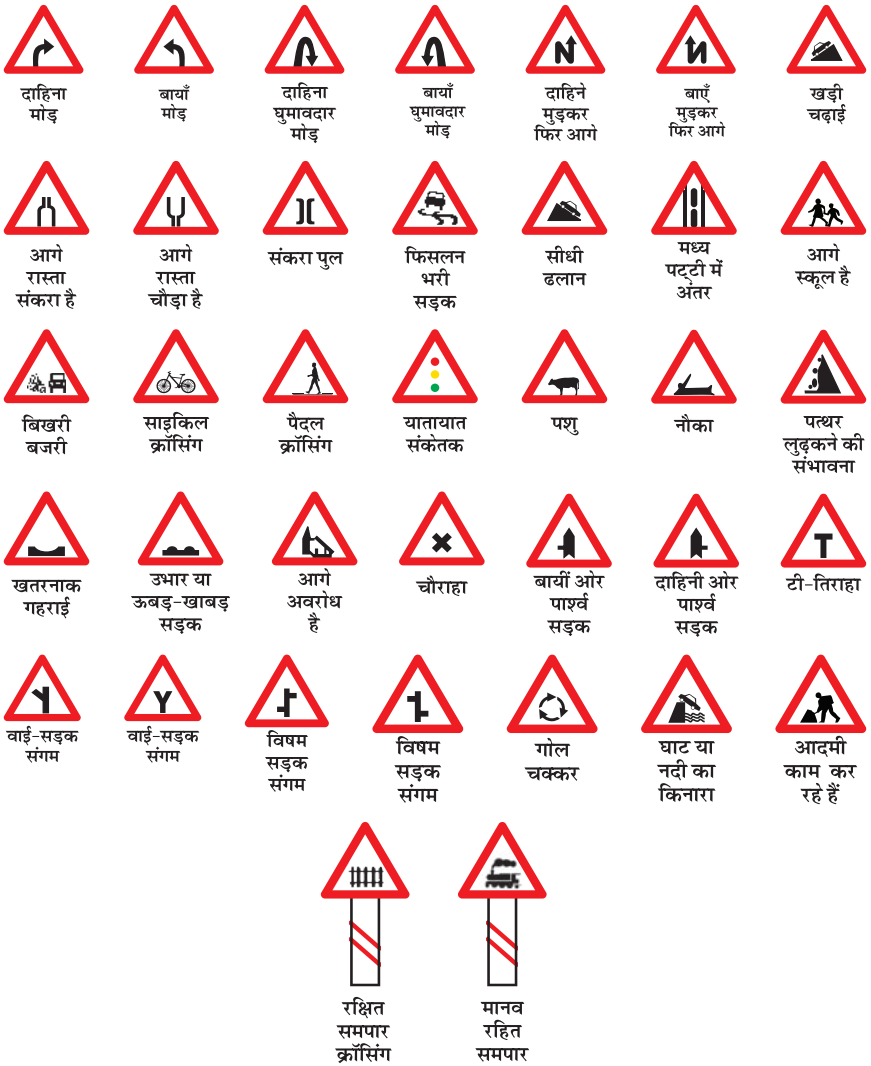

–: करना है नियमों का पालन :–

(सुरक्षित चलाये अपना वाहन)

किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए सड़क परिवहन का अपना एक अलग महत्व होता है। सड़क परिवहन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। भारत में सड़क परिवहन बढ़ने के साथ–साथ सड़क दुर्घटनाओं में भी बढ़ोत्तरी हुई है । देश में हर वर्ष बड़ी संख्या में सड़क हादसे होते है, जिसके कारण कई लोग अपनी जान गंवाते है। स्थिति की गम्भीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत की जी.डी.पी. का करीब तीन से पॉच फीसदी हिस्सा सड़क दुर्घटनाओं में लगता है। सड़क पर वाहन चलाने के नियमों की अनदेखी करने, लापरवाही करने व मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का ज्ञान नहीं होने या उक्त प्रावधानों का उल्लंघन करने से कई सड़क दुर्घटनाऐं घटित होती है । इस सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि आम जनता को जागरूक करते हुए सड़क सम्बन्धी नियमों की पालना के लिए प्रेरित किया जावे।

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अलग–अलग देशों द्वारा कठोर नियम अपनाये जा रहे है। भारत में भी सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संशोधन किया गया है। आमजन सड़क सुरक्षा सम्बन्धी नियमों का पालन करें व सड़क दुर्घटना में कमी आये, इस उद्देश्य से ही विधायिका ने संशोधित मोटरवाहन अधिनियम, 2019 में जुर्माने सम्बन्धी कड़े प्रावधान किये है ।

मोटर वाहन अधिनियम 2019 लागू करने के मुख्य कारण निम्न है:–

1. सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी
2. गाड़ी चालकों द्वारा सही प्रकार से ट्रैफिक नियमों का पालन ना करना
3. गाड़ी चालकों द्वारा नियत गति सीमा से अधिक गति में गाड़ी चलाना
4. ट्रैफिक लाईट तथा जेबरा क्रॉसिंग जैसे आवश्यक बिन्दुओं पर लोगों द्वारा ध्यान ना देना
5. वाहन चालकों द्वारा शराब पीकर गाड़ी चलाना
6. वाहन चालक व सवारियों द्वारा हैलमेट व सीटबैल्ट सम्बन्धी नियमों की अवहेलना करना।

उक्त कारणों व सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को रोकने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कठोर आर्थिक दण्ड का प्रावधान किया गया है। लगभग अस्सी प्रतिशत दुर्घटनाएँ तेजगति से गाड़ी चलाने, शराब पीकर गाड़ी चलाने तथा गलत दिशा में गाड़ी चलाने जैसे कारणों से होती है। दूसरे शब्दों में यातायात नियमों का उल्लंघन सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। भयावह स्थिति की कल्पना इसी बात से की जा सकती है कि एक रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटना में दुनियाभर में होने वाली मौतों की संख्या में भारत की हिस्सेदारी लगभग दस प्रतिशत तक है। सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों में सबसे बड़ी तादाद दोपहिया वाहन चालकों की होती है। मोटर वाहन अधिनियम में वर्ष 2019 में जो संशोधन किये गये है उनके लागू होने से आमजन जुर्माने के डर से कुछ हद तक सड़क सुरक्षा सम्बन्धी नियमों का पालन करेगें, परन्तु उक्त कानून के साथ–साथ आमजन को जागरूक किया जाना भी आवश्यक है। मोटर वाहन अधिनियम व सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बिन्दु है :–

1. **मोटर वाहन :–** मोटर वाहन में बस, ट्रक, कार, जीप, ट्रेक्टर, स्कूटर, मोटर साईकिल, मोपेड आदि यांत्रिक शक्ति से सड़क पर चलने वाले वाहन सम्मिलित हैं। सड़क पर पैदल चलते समय बायीं ओर चलना चाहिए। इसी

प्रकार वाहन भी बांयी लेन में चलाये जाने चाहिए। दो पहिया वाहन पर सवारी करते समय सुरक्षा के लिए हेलमेट का उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार कार में सवारी करते समय सीट–बेल्ट का उपयोग किया जाना चाहिए। वाहन की प्रदूषण जांच भी समय–समय पर कराया जाना आवश्यक है।

2. वाहन के पंजीकरण की अनिवार्यता :– कई बार मोटर वाहन के पंजीकृत स्वामी द्वारा अपने वाहन का विक्रय कर दिया जाता है और नवीन स्वामी द्वारा वाहन का अन्तरण अपने नाम नहीं करवाया जाता, जिसके कारण वाहन का वर्तमान में वास्तविक स्वामी कौन है, यह प्रकट नहीं होता है। इससे दुर्घटना संबंधी मामलों या अन्य प्रकरणों में वाहन के स्वामित्व का पता लगाने में समस्या उत्पन्न होती है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 39 के प्रावधानों के अनुसार, कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान या अन्य स्थान पर बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन का परिचालन नहीं करेगा और न ही वाहन स्वामी किसी व्यक्ति को बिना रजिस्ट्रेशन के अपना वाहन चलाने की अनुमति देगा। उक्त प्रावधान का उल्लंघन किये जाने पर उक्त अधिनियम की धारा 192 के अन्तर्गत दण्डित किया जा सकेगा।

3. वाहन के बीमित होने की अनिवार्यता :– मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146 के प्रावधानों के अनुसार, किसी वाहन का सार्वजनिक स्थान पर परिचालन किये जाने के लिए यह आवश्यक है कि उस वाहन का इन्श्योरेंस किया गया हो। उक्त प्रावधान के उल्लंघन में वाहन चलाये जाने पर उक्त अधिनियम की धारा 196 के प्रावधान के अनुसार दण्डित किया जा सकेगा। जहां किसी वाहन के बीमा की अवधि समाप्त हो गयी हो और वाहन स्वामी द्वारा उसका नवीनीकरण नहीं कराया जाता हैं, तो ऐसी स्थिति में दुर्घटना संबंधी मामलों में वाहन स्वामी उक्त प्रावधानों के अनुसार दण्ड के लिए तो उत्तरदायी होगा ही, साथ ही दुर्घटना दावा पेश होने की स्थिति में वाहन स्वामी पर ही दुर्घटना का आर्थिक दायित्व निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार वाहन का इन्श्योरेंस नहीं कराने अथवा इन्श्योरेंस समाप्त

होने पर उसका नवीनीकरण नहीं कराने पर वाहन स्वामी उक्त अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी होता है, साथ ही दुर्घटना होने की स्थिति में उसके ऊपर बहुत बड़ा आर्थिक दायित्व दुर्घटना क्लेम के रूप में आ सकता है।

4. चालक अनुज्ञप्ति की अनिवार्यता :– मोटर वाहन अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन तब तक नहीं चलायेगा जब तक उसके पास वैध अनुज्ञा पत्र (ड्राईविंग लाईसेंस) नहीं हो। उक्त अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन नहीं चलायेगा। जहां मोटर वाहन के इंजन की क्षमता 50 सी.सी. से अधिक नहीं हो वहां कोई व्यक्ति 16 वर्ष का होने के उपरांत सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चला सकता है। उक्त प्रावधानों के उल्लंघन में वाहन चलाने वाले व्यक्ति को अधिनियम की धारा 181 के अन्तर्गत दण्डित किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 5 के प्रावधान के अनुसार, मोटर वाहन का स्वामी या उस वाहन पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति उक्त उल्लेखित धारा 3 व धारा 4 के उल्लंघन में किसी व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति नहीं देगा, अन्यथा वह अधिनियम की धारा 180 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। जो कोई चालन अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत अयोग्य है फिर भी सार्वजनिक स्थान या अन्य स्थान पर मोटरयान चलाता है या चालन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करता है अथवा उसे अभिप्राप्त करता है अथवा पृष्ठांकन रहित चालन अनुज्ञप्ति का हकदार न होते हुए भी पृष्ठांकन को प्रकट किये बिना चालन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करता है या प्राप्त करता है अथवा पूर्व से धारित चालन अनुज्ञप्ति का प्रयोग करता है तो उसके द्वारा प्राप्त की गई चालन अनुज्ञप्ति प्रभावहीन होगी और उसका यह कृत्य दण्डनीय अपराध होगा।

5. परमिट की आवश्यकता :– मोटरयान अधिनियम की धारा 66 के प्रावधानों के अनुसार मोटर वाहन स्वामी किसी वाहन को सार्वजनिक स्थान

पर वास्तव में यात्री या सामान का परिवहन करने या ट्रान्सपोर्ट वाहन के रूप में प्रयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि इस सम्बन्ध में वाहन का परमिट नहीं बनाया गया हो। उक्त प्रावधान के उल्लंघन पर अधिनियम की धारा 192–ए के अन्तर्गत दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

6. **नशे में वाहन का चालन :–** मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के प्रावधानों के अनुसार जहॉ कोई व्यक्ति नशे की अवस्था में वाहन का परिचालन करता है, तो उसका यह कृत्य दण्डनीय अपराध है।

7. **तेजगति से वाहन चलाना :–** सड़क दुर्घटना के अधिकांश मामले अत्यधिक गति से वाहन चलाने के कारण होते है। मोटरवाहन अधिनियम की धारा 112 में वाहन की गति सीमा के बारे में प्रावधान किये गये हैं। अधिनियम की धारा 183 में प्रावधान किया है कि जो कोई धारा 112 में निर्दिष्ट गति सीमा का उल्लंघन करके मोटरयान चलायेगा वह जुर्माने से दण्डनीय होगा। इसी प्रकार खतरनाक तरीके से मोटरयान चलायेगा अर्थात उस स्थान के स्वरूप, हालत व यातायात की स्थिति की अनदेखी करते हुए इस प्रकार वाहन चलायें कि साधारण जनता के लिए खतरनाक हो तो उस स्थिति में अधिनियम की धारा 184 के अन्तर्गत दण्डित किये जाने के प्रावधान है।

8. **दुर्घटना की स्थिति में चालक व मोटरवाहन स्वामी के कर्तव्य :–**

जहॉ मोटरयान से किसी व्यक्ति, पशु या किसी अन्य वाहन के साथ दुर्घटना हो जाती है अथवा किसी सम्पत्ति को कोई नुकसान पहुॅचता है तो वाहन चालक उस वाहन को वहॉ रोकेगा तथा अपना नाम और पता तथा वाहन के स्वामी का नाम व पता उस दुर्घटना या नुकसान से प्रभावित व्यक्ति द्वारा पूछने पर बतायेगा। दुर्घटना की स्थिति में ड्राईवर या ऐसा व्यक्ति जिसका यान पर नियंत्रण हो, आहत व्यक्ति को निकटतम चिकित्सक के पास या अस्पताल में ले जाकर उसे चिकित्सा सहायता

उपलब्ध करायेगा। अस्पताल में ड्यूटी पर उपस्थित चिकित्सक का यह कर्तव्य है कि वह प्रक्रिया सम्बन्धी औपचारिकता की प्रतिक्षा किये बिना आहत व्यक्ति का तुरन्त ईलाज करें। मोटरयान का स्वामी, जिसके ड्राईवर या कन्डेक्टर द्वारा इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किये जाने का आरोप है तो प्राधिकृत पुलिस अधिकारी द्वारा मॉग की जाने पर ड्राईवर या कण्डेक्टर के नाम व पते तथा उसके द्वारा धारित अनुज्ञप्ति से संबंधित ऐसी सारी जानकारी देगा जो उसके पास है या जिसे वह समुचित तत्परता से अभिनिश्चित कर सकता है। उक्त उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 187 में दण्डित किये जाने के प्रावधान है।

9. **वाहनों का आपस में दौड़ का मुकाबला :—** जो कोई राज्य सरकार की लिखित सहमति के बिना सार्वजनिक स्थान पर मोटरयान की दौड़ या गति का मुकाबला करेंगें या ऐसा मुकाबला करने देंगे तो इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 189 में दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

10. **असुरक्षित वाहन का उपयोग :—** जो कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर ऐसा मोटरयान चलायेगा या चलाने देगा, जिससे सड़क सुरक्षा, शोर नियंत्रण और वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में विहित मानकों का उल्लंघन होता है तो यह दण्डनीय अपराध है। इसी प्रकार सार्वजनिक स्थान में ऐसे मोटरयान को चलाना या चलाने की अनुमति देना जबकि उस यान में ऐसी खराबी है कि उसे उस स्थान पर चलाने से खतरा हो सकता है तो ऐसा कृत्य अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। इसी प्रकार कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर मोटरयान ऐसे चलाएगा या चलाने देगा, जिससे ऐसे माल के वहन से संबंधित नियमों का उल्लंघन होता है, जो मानव जीवन के लिए खतरनाक है तो वह अधिनियम के अन्तर्गत दण्ड के दायित्वाधीन होगा।

11. **वाहन की अवस्था में परिवर्तन :—** यदि कोई व्यक्ति मोटरयान या ट्रेलर को ऐसे परिवर्तित करेगा कि सार्वजनिक स्थान पर चलाने से इस

अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होता हो या मोटरयान को ऐसी हालत में विक्रय या परिदान करेगा अथवा विक्रय या परिदान की प्रस्थापना करेगा, जिससे सार्वजनिक स्थान में उसके उपयोग से इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होता हो, तो वह अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

12. **ओवरलोडिंग वाहन के संबंध में :—** परिवहन यानों के संबंध में परमिट जारी करते समय विहित शर्तों के अनुसार ही यान का किसी क्षेत्र या मार्ग पर उपयोग किया जा सकेगा। यान के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में विर्निदिष्ट लदान रहित भार से अधिक भार होने या लदान सहित भार से अधिक भार होने की अवस्था में मोटरयान सार्वजनिक स्थान पर न तो चलायेगा और न ही चलाने देगा। मोटरयान विभाग के अधिकारी को जहां ये लगता है कि यान या ट्रेलर में अधिक भार लदान किया गया है तो वह यान को तुलवाने हेतु किसी तोलनयंत्र पर ले जा सकता है। उक्त नियमों के उल्लंघन में अनुज्ञेय भार से अधिक भार सहित मोटरयान को चलाये जाने पर, अधिनियम की धारा 194 के अन्तर्गत दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

13. **यातायात में अवरोध :—** जो कोई किसी निर्योग्य वाहन को सार्वजनिक स्थान पर ऐसी रीति से रखेगा जिससे कि यातायात का मुक्त प्रवाह अवरूद्ध होता है तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शास्ति लगायी जा सकती हैं। सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि कई वाहन चालक नियत स्थान पर वाहन को पार्किंग में खडा नहीं करते हैं जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न होती है। इस संबंध में अधिनियम के अन्तर्गत दण्डित किये जाने के प्रावधान हैं।

14. **कुछ मामलों में गिरफ्तार करने की शक्ति :—** कोई पुलिस अधिकारी वर्दी में रहते हुए उस व्यक्ति को वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा जिसने उसकी उपस्थिति में ऐसा अपराध किया है जो धारा 184 या धारा 185 या धारा 197 के अधीन दण्डनीय है। इसके अतिरिक्त यदि कोई

व्यक्ति जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है और वर्दी पहने हुए पुलिस अधिकारी को पूछने पर नाम और पता देने से इंकार करता है तो उसे बिना वारण्ट के गिरफ्तार कर सकेगा।

15. **दुर्घटना दावा प्रस्तुत करने संबंधी प्रावधान :—** यदि वाहन चालक की गलती से कोई दुर्घटना कारित होती है, जिसके कारण किसी व्यक्ति को चोट पहुंचती है या उसकी मृत्यु हो जाती है या उसकी सम्पत्ति को नुकसान होता है तो वह पीडित व्यक्ति या उसका उत्तराधिकारी, वाहन के मालिक, चालक, बीमा कम्पनी जिससे दुर्घटना करने वाला वाहन बीमाकृत है, से मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार रखता है। इसके लिए मोटरवाहन दुर्घटना दावा अधिकरण में कार्यवाही प्रस्तुत की जाती है। उक्त मुआवजे के लिए कार्यवाही उस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है जिसे क्षति हुयी है या सम्पत्ति के स्वामी द्वारा अथवा जब दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु हुयी है तो मृतक के सभी या किसी विधिक प्रतिनिधि द्वारा अथवा जिस व्यक्ति को क्षति पहुंची है उसके द्वारा अथवा सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा कार्यवाही प्रस्तुत की जा सकती है। जहाँ दावा अधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन किये गये प्रतिकर के दावे को मंजूर किया जाता है वहां अधिकरण यह निदेश दे सकता है कि प्रतिकर की रकम के अतिरिक्त उतनी दर से तथा उस तारीख से जो दावा करने की तारीख से पहले की न होगी, से साधारण ब्याज भी दिया जावे। दुर्घटना दावा अधिकरण में प्रार्थना पत्र, जहाँ दुर्घटना हुयी वहां पर अथवा जहाँ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति अर्थात् क्लेमेंट निवास करता है वहाँ भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। मोटर वाहन से दुर्घटना होने पर दुर्घटना करने वाले वाहन के नम्बर नोट कर लेना चाहिए। यदि संभव हो तो वाहन के चालक का नाम, पता भी नोट करना चाहिए।

16. **हिट एंड रन मामलों में मुआवजा :—** यदि वाहन के नम्बर पता नहीं चल पाते हैं तो भी पुलिस थाने पर रिपोर्ट दर्ज करायी जानी चाहिए। यदि दुर्घटना करने वाले वाहन का पता नहीं चल पाता है तब भी सरकार

द्वारा मुआवजा दिया जाता है। अब हिट एंड रन दुर्घटना के पीडितों को दिये जाने वाले मुआवजे की राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया है जिसके अनुसार पीडित की मृत्यु होने पर परिवार को दो लाख रूपये तक मुआवजा दिया जावेगा। गंभीर चोटों के लिए भी मुआवजे की राशि में बढोत्तरी की गयी है। इसके लिए मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फण्ड बनाये जाने का प्रावधान है।

17. **मोटरयान से प्रदूषण :—** सामान्यतः यह देखा जाता है कि वाहन स्वामी अपने वाहन की नियमित रूप से प्रदूषण एवं फिटनेस की जांच नहीं करवाते हैं, जिसके कारण सड़क दुर्घटनाओं की संभावना तो रहती ही है साथ ही वातावरण भी प्रदूषित होता है। इसी प्रकार ट्रेक्टर, परिवहन यान व अन्य वाहनों में तेज आवाज का टेपरिकार्डर लगाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाया जाता है। इस प्रकार के वाहनों में अवैध रूप से निर्मित वाहन जिन्हें सामान्य भाषा में जुगाड कहते हैं, भी सड़कों पर दौडते नजर आते हैं। ऐसे वाहनों से भी वायु प्रदूषण फैलता है व दुर्घटना की संभावना रहती है। इस संबंध में आमजन को जागरूक किये जाने की आवश्यकता है।

18. **ब्राजीलिया घोषणा :—** नवम्बर–2015 में ब्राजीलिया घोषणा को जारी किया गया था। भारत भी इस घोषणा का हस्ताक्षरकर्ता है। ब्राजीलिया घोषणा में 2020 तक यातायात दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को आधा करने का लक्ष्य रखा गया था। भारत द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन कर इस दिशा में प्रयास को गति दी है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति के तहत राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नीतिगत ढांचे की रूपरेखा को तैयार किया गया है, इसमें जनसाधारण को जागरूक करना, सड़क सुरक्षा के लिए नीति बनाना तथा सड़क सुरक्षा कानूनों का प्रवर्तन कराना सम्मिलित है। सेतू भारतम् कार्यक्रम के तहत देश के सभी नेशनल हाइवेज् को रेलवे क्रासिंग से मुक्त किया जाना इसी उद्देश्य से शामिल किया गया है। मंत्रालय ने जनता की सुविधा के लिए "VAHAN" और "SARATHI" नामक दो एप्लीकेशन को लान्च किया है। "VAHAN" ऐप्लीकेशन की सहायता से

वाहन का पंजीकरण ऑनलाइन हो सकेगा। "SARATHI" ऐप्लीकेशन की सहायता से ड्राईविंग लाईसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

सडक सुरक्षा के संबंध में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका व कार्ययोजना :–

1. **विधिक साक्षरता शिविर :–** राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सड़क सुरक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मोटरयान अधिनियम से संबधित प्रावधानों की जानकारी तथा सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों की जानकारी विधिक साक्षरता शिविर व जन–जागरूकता अभियान के माध्यम से आमजन तक पहुँचायी जा रही हैं। इस कार्य में पैरा लीगल वॉलेन्टियर, पैनल लॉयर व विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ कार्य करने वाले स्वयंसेवी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तैयार पोस्टर, बैनर व प्रचार सामग्री के माध्यम से दूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में भी जन–जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्य में मोबाइल वैन अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित विद्यालयों में भी विधिक साक्षरता शिविर आयोजित कर सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों की पालना के लिए जागरूक किया जाता है।

2. **सड़क सुरक्षा शिविर के संबंध में कार्य योजना :–** राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सड़क सुरक्षा कानून के संबंध में राज्य स्तरीय जागरूकता अभियान आयोजित किये जाने की कार्य योजना है, जिसमें आमजन को यातायात नियमों की पालना के लिए जानकारी देते हुए प्रेरित किया जाएगा। इस संबंध में पोस्टर, पम्पलेट के माध्यम से प्रचार सामग्री तैयार कर वितरित की जाएगी। परिवहन व यातायात विभाग के सहयोग से वृहद् स्तर पर शिविर आयोजित किये जाएंगे, जिसमें निम्न लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं –

(I) सामान्यतः वाहन मालिक अपनी गाडी का बीमा समाप्त होने पर लापरवाही के कारण या अज्ञानतावश वाहन बीमा का नवीनीकरण नहीं कराते हैं।

वाहन की नियमित रूप से प्रदूषण एवं फिटनेस की जांच भी नहीं करवाते हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित जिला स्तरीय शिविर में मौके पर ही वाहन के प्रदूषण व फिटनेस की जांच करवाकर प्रमाण पत्र जारी करवाये जाएंगे। जिन व्यक्तियों के ड्राईविंग लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गयी है, उनके मौके पर ही ड्राईविंग लाइसेंस बनवाने या नवीनीकरण करवाने की व्यवस्था की जाएगी।

(ii) जिन वाहनों का विक्रय किया जा चुका है या अन्य कारणों से वाहन पंजीकरण कराना आवश्यक है, उन वाहनों का मौके पर ही पंजीकरण करवाया जाएगा।

(iii) सड़क सुरक्षा संबंधी कानून के संबंध में जागरूकता लाने के उद्देश्य से तालुका व पंचायत स्तर पर भी वाहन का पंजीकरण व ड्राईविंग लाइसेंस बनवाने, वाहन बीमा का नवीनीकरण कराने के संबंध में विशेष शिविर आयोजित किये जाएंगे। उक्त शिविर में परिवहन व यातायात विभाग के अधिकारी तथा बीमा कम्पनी के प्राधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। उक्त कार्यक्रमों का पैरा लीगल वॉलेन्टियर व अन्य प्रचार माध्यमों का उपयोग करते हुए पूर्व से ही व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाएगा, ताकि उस क्षेत्र में ऐसा कोई वाहन शेष नहीं रहे, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हो या बीमा नहीं हुआ हो। बिना ड्राईविंग लाइसेंस के कोई व्यक्ति गाड़ी न चलाये, इस संबंध में भी जागरूकता लायी जाएगी और जो व्यक्ति ड्राईविंग लाईसेंस बनवानें के इच्छुक है, उनके मौके पर ही ड्राईविंग लाइसेंस बनाने की व्यवस्था शिविर में की जाएगी।

(iv) राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जन–जागरूकता अभियान के माध्यम से पूरे राज्य में विधिक जन–जागरूकता शिविर आयोजित कर आमजन को यातायात नियमों व सड़क सुरक्षा कानून की पालना करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। परिवहन विभाग व यातायात विभाग के सहयोग से तेज गति से वाहन न चलाने, ओवर लोडिंग वाहनों का परिवहन रोकने, नशे में वाहन नहीं चलाने, निश्चित स्थान पर ही पार्किंग करने के संबंध में जन मानस को प्रेरित किया जाएगा।

3. अवैध वाहनों का परिवहन :–

सामान्यतः यह भी देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से तैयार वाहन जिन्हें "जुगाड" कहते हैं, को उपयोग में लाया जाता है जो सड़क दुर्घटनाओं को आमंत्रित करते हैं। इसके अलावा ट्रेक्टर को कृषि कार्य के अलावा भी सार्वजनिक मार्ग पर चलाया जाता है। उनके साथ बिना पंजीकरण के ट्रॉली भी लगायी जाती है। इस संबंध में अभियान चलाया जाकर अवैध वाहन अर्थात् "जुगाड" को सार्वजनिक मार्ग पर संचालित करने से रोकने के लिए अभियान चलाया जाएगा तथा ट्रॉली का पंजीकरण कराने के लिए आमजन को प्रेरित किया जाएगा। ट्रॉली पर रिफलेक्टर लगवाने तथा यदि ट्रेक्टर को सार्वजनिक मार्ग पर चलाया जाता है तो रजिस्ट्रेशन की शर्तों के अनुसार उसका संचालन किया जाए, इस बात के लिए आमजन को प्रेरित किया जाएगा।

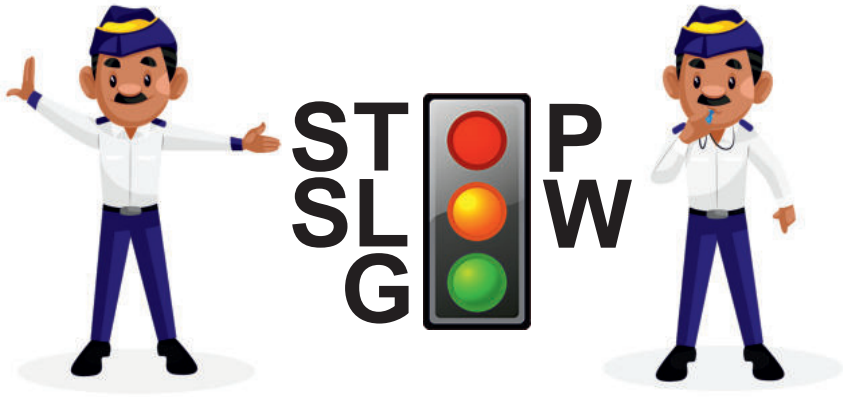

नियमों से चलाओ वाहन

जब भी चलाओ कोई गाड़ी, करना है नियमों का पालन।
जीवन है अनमोल सभी का, ढंग से चलाओ अपना वाहन।।

पैदल चलो या वाहन पर हो, सड़क पर बांयी ओर चलो।
करें सवारी जब दोपहिया पर, पहनो हैलमेट फिर निकलो।।
मिलता दुर्घटना को आमंत्रण, जब चालक करे नशे का सेवन।
जब भी चलाओ कोई गाड़ी, करना है नियमों का पालन।।

सीट बेल्ट का जो करे उपयोग, गहरी चोट से वे बचते हैं।
रात में चलाएं जब गाड़ी तो, उपयोग डीपर का करते हैं।।
मोड़ पर इंडिकेटर ना देना, बन जाता है दुर्घटना का कारण।
जब भी चलाओ कोई गाड़ी, करना है नियमों का पालन।।

गाड़ी चलाते मोबाईल पर बात, देता है दुर्घटना को निमंत्रण।
गाड़ी का परिक्षण समय पर हो, ना फैले उससे कोई प्रदूषण।।
वाहन–गति रखें सदा नियंत्रित, गाड़ी तो है सुविधा का साधन।
जब भी चलाओ कोई गाड़ी, करना है नियमों का पालन ।।

जब भी चलाओ कोई गाड़ी, चालक का लाईसेंस है जरूरी।
बिना इंश्योरेंस गाड़ी ना चलाएं, चाहे कितनी भी हो मजबूरी।।
नाम अंतरण तो है आवश्यक, जब भी बेचो अपना वाहन।
जब भी चलाओ कोई गाड़ी, करना है नियमों का पालन।।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर
Phone: 0141-2227481, Fax: 2227602
Toll Free Help Line 15100/9928900900
Email: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in
website: www.rlsa.gov.in